

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-32/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० गरिमा गौरव, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज द्वारा दिनांक-10.12.2024 से 09.06.2025 तक कुल-182 (एक सौ बयासी) दिनों की उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-1902(25), दिनांक-08.09.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० गौरव का 548 (पाँच सौ अड़तालीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-32/2024-


1083(2)

पटना, दिनांक 21/5/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/डा० गरिमा गौरव, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
१